संख्या : सा–3– 1613/दस–2011–301(9)/2011

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 05 दिसम्बर, 2011

विषय : दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से लागू नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु/विकलांगता तथा बीमारी अथवा चोट के कारण सेवानिवृत्ति की दशा में देय सेवानिवृत्तिक लाभों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–38/41/061 पी0 एण्ड पी0डब्लू0 (ए) दिनांक 05 मई, 2009 के द्वारा, केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं, के सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने, उनके विकलांग हो जाने अथवा चोट / विकलांगता के कारण सेवानिवृत्त हो जाने की दशा में अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के अनुरूप, अग्रेतर आदेशों तक, राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जो दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 से लागू नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं, को/उनके आश्रितों को, अधोलिखित लाभ राज्य सरकार के वर्तमान नियमों के अनुसार अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

(1) शासकीय ड्यूटी पर न रहते हुए विकलांगता के कारण सेवानिवृत्ति –
(i) संगत नियमों के अधीन अपंगता पेंशन ।
(ii)संगत नियमों के अधीन रिटायरमेण्ट ग्रेच्युटी ।

(2) शासकीय ड्यूटी पर न रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु–
(i)संगत नियमों के अधीन पारिवारिक पेंशन
(बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन को सम्मिलित करते हुए)।
(ii) संगत नियमों के अधीन मृत्यु आनुतोषिक ।

(3) शासकीय ड्यूटी पर रहते हुए चोट / बीमारी के कारण सेवानिवृत्ति –
(i) असाधारण पेंशन नियमों के अन्तर्गत विकलांगता पेंशन ।
(ii) असाधारण पेंशन नियमों के तहत रिटायरमेण्ट ग्रेच्युटी ।

(4) शासकीय ड्यूटी पर मृत्यु–
(i) असाधारण पेंशन नियमावली के तहत असाधारण पारिवारिक पेंशन ।
(ii) संगत नियमों के अधीन मृत्यु आनुतोषिक ।

उपरोक्त लाभों पर, समय समय पर लागू मंहगाई पेंशन / महंगाई राहत यथाअनुमन्यता देय होगी ।

2– किसी कर्मचारी अथवा उसके परिवार को इन आदेशों के तहत स्वीकृत लाभों का भविष्य में, नयी पेंशन योजना से प्राप्त होने वाले लाभों में से उसी रीति से समायोजन किया जायेगा जैसी इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार/पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा निर्धारित की जाये ।

यह आदेश दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 से प्रभावी माने जायेंगे ।

भवदीया,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव ।

संख्या : सा–3–1613 (1)/दस–2011, तद्‌दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2– विशेष सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन ।
3– विशेष सचिव, इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4– मुख्य लेखाधिकारी, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
5– निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6– निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7– निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ।
8– समस्त मण्डलायुक्त/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश ।
9– उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
10–समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव ।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 73 सा० वित्त-20.12.11-(1373)-5000+2 प्रतियां (आफसेट)।